[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं. 19/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 384/86-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1986, जिसे सा.का.नि. 954(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1986 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम 1 में,-

(i) क्रम सं. 1 के समक्ष, ''सभी उप-महानिदेशक'', शब्दों के स्थान पर ''सभी अपर महा-निदेशक'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 2 के समक्ष, ''सभी सहायक महा-निदेशक'' शब्दों के स्थान पर, ''सभी अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 3 के समक्ष, ''सभी वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों'', शब्दों के स्थान पर, ''सभी उप-निदेशक'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 437/05/2017-सीमा शुल्क-IV]

(जुबेर रियाज)
निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 954 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1986 के तहत प्रकाशित किया गया था।